(6)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/02/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उप०। वादीगण वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने दावा स्वत्वधारी घोषणा का पेश किया था जो दर्ज रजिस्टर होकर न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी में रेकर्ड अनुसार व सजरे अनुसार वादीगण का 3/4 हिस्सा बनता है लेकिन दावा टाईप के वक्त टंकणीय भूल से 3/4 हिस्से की जगह 1/3 हिस्सा टाईप कर दिया जो टंकणीय भूल है। लेकिन वास्तविक रूप से व रेकर्ड अनुसार वादीगण का 3/4 हिस्सा बनता है उसी हिस्सेनुसार वादीगण का कब्जा काबिज आया है। जिससे उक्त दावे में सभी पैरा व अनुतोष 1/3 हिस्से की जगह 3/4 हिस्सा संशोधन किया जाना आवश्यक होने से वाद संशोधन अनुतोष अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त टंकणीय भूल की वादीगण को जानकारी नहीं रही अभी जानकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त संशोधन से वाद के दोनों पक्षों को न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तदनुसार संशोधन करने की अनुमति दिये जाने का आदेश फरमावें। अतः वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु निर्देशित किया जाता है। वादीगण वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु आईन्दा दिनांक 17/02/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
17/02/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादी वकील अनु०। वादी वकील ने वादी साक्ष्य में PW-1 अमुरा उर्फ अबूबकर पुत्र नुरा, PW-2 सलीम पुत्र बन्नाया, PW-3 वरियाम पुत्र दरिया, PW-4 मजिद पुत्र आगु, PW-5 सफल खान पुत्र मखनखान के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/02/25 को पेश हो।	साक्ष्य सलीम, साक्ष्य वरियाम
28/02/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10/03/25 को पेश हो।	
10/03/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादी वकील अनु०। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 21/03/25 को पेश हो।	
21/03/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 15/04/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप॰। प्रतिवादी अनु॰। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रतिवादी वकील को जिरह हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद जिरह नहीं की अत: जिरह का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु आईन्दा दिनांक 24/4/25 को पेश हो।	
24/4/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी मिगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 06/05/25 को पेश हो।	
06/05/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप॰। प्रतिवादी वकील उप॰। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/5/25 को पेश हो।	
15/5/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी मिगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28/05/25 को पेश हो।	
28/05/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप॰। प्रतिवादी वकील अनु॰। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने का अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/06/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

13/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रतिवादी गण वकील उप.। प्रतिवादी वकील को प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने के अनेक अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं की अत: प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आईन्दा दिनांक 18/06/25 को पेश हो।

18/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा सिंहानिया पटवार हल्का आरटी मु.मे. नि. क्षेत्र आरटी तहसील रुंदेरा में हम वादीगण के दादा । पड़दादा स्व. अलफ के नाम पुस्तैनी, कब्जा काश्त उपयोग की भूमि आई थी। मौजा सिंहानिया पटवार हल्का आरटी के नवीन खसरा संख्या 176 रकबा 14.2692 हेक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 17.9033 हेक्टेयर, खसरा संख्या 343 रकबा 11.6711 हेक्टेयर कुल रकबा 43.8436 हेक्टेयर व इसी ग्राम के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हेक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हेक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 4.7347 हेक्टेयर व ग्राम पाकुदानपुरा पटवार हल्का मजासरा के खेत खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हेक्टेयर में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा है कि उक्त खसरे रेकर्ड पर हैं लेकिन खसरा संख्या 234 [illegible] किस्म गैर मुमकिन ढाणी जो वर्तमान [illegible] उक्त खसरान के साथ [illegible] पर नहीं होने से हम वादीगण [illegible] 234। रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी पर किसी प्रकार की दस्तबुर्दा नहीं चाहते हैं। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अत: मौजा सिंहानिया के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

(8)

52/2022

[illegible] केसर कौर बनाम नवाब कौर

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
संख्या 224। रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी की भूमि में वादीगण द्वारा चाही गई दरस्तुआ। वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर डिक्री की जाती है। मूल वाद में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन-मनन करने पर यह जाहिर होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो। [signature]	
21/07/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] निवेदन किया कि मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में हम वादीगण के दादा स्व. अलप की पुश्तैनी भूमि थी। मौजा पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हेक्टेयर पूर्ण खसरा स्व. अलप की खातेदारी है जो निर्णय अनुसार सही है। मौजा सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हेक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हेक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हेक्टेयर खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हेक्टेयर खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हेक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हेक्टेयर है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें हम वादीगण स्व. अलप के वारिसान है। स्व. अलप का [illegible] के नाम से दर्ज है। उक्त खसरात में स्व. [illegible] हिस्से के अनुसार हम वादीगण [illegible] हिस्से में 3/4 हिस्सा बनता है। डिग्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा घोषित किया जावें। अतः निवेदन है कि मौजा पाबुदानपुरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हेक्टेयर पूर्ण खसरा तथा मौजा सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हेक्टे.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
	खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हेक्टेयर खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हेक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हेक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हेक्टेयर में संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें हम वादीगण का स्व. अल्फ के हिस्से के अनुसार हम वादीगण का स्व. अल्फ के हिस्से में से 3/4 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा घोषित किया जाए। वादीगण के निवेदन पर पत्रावली को पुनः पेशी पर लिया गया। उक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी आदेश दिनांक 18/06/2025 के साथ जारी पर्चा डिक्री में लिपिकिय त्रुटि के कारण मौजा सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0505 हेक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हेक्टेयर खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हेक्टेयर खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हेक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हेक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हेक्टेयर व ग्राम पाबुहानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हेक्टेयर भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा सहखातेदार के साथ हिस्सा घोषित किया गया। उक्त डिक्री पर्चा में हुई लिपिकिय त्रुटि को सुधार कर संशोधित डिक्री पर्चा दिनांक 21/07/2025 को जारी कर डिक्री दी जाती है कि मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र असी तहसील रेवा में खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0505 हेक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हेक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हेक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हेक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हेक्टेयर व ग्राम पाबुहानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के दादा / परदादा स्व. अल्फ के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(7)

अन्नू वगैरा बनाम ग्वाल वगैरा 52/2022

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में वादीगण का हक हकूक व कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी में स्व. अल्फ के हिस्से में से वादीगण का 3/5 हिस्सा सहखातेदार के साथ घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर शामिल पत्रावली किया जाता है। डिक्री पर्चा दिनांक 21/07/2025 को न्यायालय हजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/07/2025 का अभिन्न अंग समझा जावें। तहसीलदार सेवा संशोधित डिक्री पर्चा दिनांक 21/07/2025 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

(10)

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

...सं 52/2022

... अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

...न:–

...दी–

1. फेजू पुत्र बचाया, (फौत) के कायम मुकाम
1/1. बचाया पुत्र फजू 1/2. सरूपा पत्नी फेंजू
2. अली मोहम्मद पुत्र बचाया 3. सलीम पुत्र बचाया 4. उम्मेदअली पुत्र नूरा
5. अबुबकर पुत्र नूरा 6. दादला पुत्र नूरा 7. सचल पत्नी नूरा 8. वरीयाम पुत्र दरीयाखां
9. चनेसर पुत्र दरीयाखां 10. धोदल पुत्र दरीयाखां 11. मारियत पत्नी दरीयाखां जाति मुसलमान, निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. नवाब पुत्र निभरा (फौत) के कायम मुकाम
1/1. हमीद पुत्र नवाब 1/2. मीरखान पुत्र नवाब 1/3. मलीर पुत्र नवाब
1/4. फरीद पुत्र नवाब 1/5. अभन पुत्र नवाब 1/6. निमरा पुत्र नवाब
1/7. जीवण पुत्र नवाब 1/8. कुड़ा पुत्र नवाब 1/9. करीमा पत्नी नवाब
2. भाईखान पुत्र निभरा 3. माणक पुत्र निभरा 4. ओढाणी पत्नी अलफ 5. मांजी पुत्र अलफ
6. रजाक पुत्र अलफ 7. अनवर पुत्र आदम 8. अब्दलकलाम पुत्र वारस 9.अमीर पुत्र जानी
10. अरबी पुत्र अमीन 11. अलाना पुत्र लतीफ (फौत) के कायम मुकाम 11/1. शरीफ पुत्र अलाना 11/2. करीम पुत्र अलाना 12. हासयत पत्नी फेजू 13. इसाक पुत्र शेरखां फौत के कायम मुकाम 13/1 मनीया पुत्र इसाक 14. कारू पुत्र शेरखां 15. गुल पुत्र पोड़ा 16. छूटा पुत्र मीठू 17. जमरदीन पुत्र पोडा फौत के कायम 17/1. मगन पुत्र जमरदीन 17/2. इशाक पुत्र जमरदीन 17/3. हकीमा पत्नी जमरदीन 18. जमाल पुत्र एलियास 19. नसीर पुत्र सदीक फौत के कायम मुकाम 19/1. मीर पुत्र नसीर 19/2. जीमल पुत्र नसीर 19/3. रसीद पुत्र नसीर 19/4. शरमी पत्नी नसीर 20. पुनु पुत्र आदम 21. फजल पुत्र पोडा (फौत) के कायम मुकाम 21/1. एहसान पुत्र फजल 21/2. पोडा पुत्र फजल 22. बचु पुत्र जानी 23. बची पत्नी जानी 24. बरकतअली पुत्र अमीन 25. भानी पत्नी अमीन 26. मुकीम पुत्र आगू 27. मजीद पुत्र आगू 28. मनई पुत्र वारस 29. मेहराण पुत्र आगू 30. मीयल पुत्र आगू 31. लुकमान पुत्र आदम 32. लतीफ पुत्र शेरखां
33. लियाकत पुत्र अमीन 34. सतार पुत्र मीठू 35. सफी पुत्र दोषु 36. साजन पुत्र जानी 37. साभर पुत्र पोडा 38. साले पुत्र आदम 39. सालखां पुत्र अमीन 40. सोरढ पत्नी वारस
41. हाजी पुत्र दोषू जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा
42. व्यवस्थापक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा
43. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण– **वादीगण के वकील** – श्री दोष मोहम्मद
प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के वकील– श्री मुकीम ...
प्रतिवादी संख्या 07, 10, 18, 20, 24, 25, 31, ... 38 ... के वकील– श्री महिपालदान चारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(11)

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 18/06/2025

वादीगण द्वारा पेश वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी, भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में हम वादीगण के दादा/पड़दादा स्व. अलफ के नाम पुश्तैनी भूमि थी, उक्त आराजी हम वादीगण के दादा स्व. अलफ की पुश्तैनी, कब्जा काश्त उपयोग की भूमि थी, जो संलग्न खतौनी बन्दोबस्त से स्पष्ट है। ग्राम सिंहानिया पटवार हल्का अरटी के नवीन खसरा संख्या 176 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 17.9033 हैक्टेयर, खसरा संख्या 343 रकबा 11.6711 हैक्टैयर कुल रकबा 43.8436 हैक्टेयर व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 4.7347 हैक्टेयर व ग्राम पाबुदानपूरा, पटवार क्षेत्र गंगासर के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। जिसमें हम वादीगण का 3/4 हिस्सा मालिकाना हक हकूक व कब्जे काश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया गया जाएगा। हम वादीगण के दादा अलफ के फौत होने पर ग्राम सिंहानिया के खसरा संख्या 176, 193, 343 में उनके वारिश निभरा, बचाया, नूराखां, दरीयाखां के नाम दर्ज हुई, लेकिन ग्राम सिंहानिया के खसरा 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टैयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टैयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम, कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 4.7347 हैक्टैयर व ग्राम पाबूदानपुरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टैयर भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादीगण कानूनी हक पाने के वारिश थे व कानूनी अधिकारी है। उसके बावजूद भी हम वादीगण को बिना सुनवाई किये हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया तथा हमें हमारे हक हकूको से वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का सिटलमेन्ट अधिकारियों का कानूनी हक व अधिकार नहीं था। हम वादीगण के दादा स्व. अलफ था। स्व. अलफ के फौत होने पर उक्त भूमि वंशानुगत हमारे नाम दर्ज हुई। अलफ के फौत होने पर चारो पुत्र निभरा, बचाया, नूराखां, दरियाखां के नाम दर्ज हई तथा अलफ निर्वसयती फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में हम वादीगण का नाम विधिवत व कानूनीया दर्ज करना था, जो नहीं कर सेटलमेंट अधिकारीयों ने बिना जांच पड़ताल किये निभरा ने सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिलकर अपने अकेले के नाम करवा ली, उस वक्त हम वादीगण के पिता नाबालिग हो[illegible] प्रतिवादीगण ने मिलकर हमें सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी रूप से भूमि प्रतिवादीगण के नाम [illegible] दी। हम वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं की। उसके बावजूद भी सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने हम वादीगण का नाम दर्ज नही कर हमें हमारे हकूकों से वंचित कर हमारे हको पर [illegible]राघात किया गया है। जो ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि हम वादीगण स्व. अलफ के प्रथम श्रेणी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

... हक हकूक पानें के अधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी के खातेदारी घोषणा हम वादीगण ... हकदार होने से दावा हाजा पेश है। वादग्रस्त भूमि में हम वादीगण का 3/4 हिस्से के हक पानें ...नी अधिकारी है, हमारा उक्त हिस्से पर कब्जा बदस्तुर है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में 3/4 हिस्सा ...नोया हक हकूक बनता है, तथा इसी हिस्से अनुसार प्रतिवादी हक पानें के कानूनी अधिकारी है। इसी ...स्से अनुसार इनका मौके पर कब्जा बदस्तूर है। उसके बावजूद भी ग्राम सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टैयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टैयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 व 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टेयर व ग्राम पाबूदानपूरा, पटवार हल्का गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टेयर में हम वादीगण के 3/4 हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम अवैध व गैर कानूनी इन्द्राज से प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक हकूक हासिल नहीं होते है। आज से एक माह पूर्व पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ली तो जानकारी में आया कि वादग्रस्त भूमि में हम प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नहीं किया, जिस पर हमनें गांव में पंच–पंचायती करवाई लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मानें तथा प्रतिवादीगण उसके बाद आये दिन वादीगण के शातिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा कर वादीगण को बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां देते है। तथा वादग्रस्त भूमि को अजनबी बदमाश व्यक्ति को बैचान, रहन कर मौके से जबरन बेदखल करने की धमकियां दी। जिससे ऐसा करने का प्रतिवादीगण को अधिकार नहीं होने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पानें के हकदार होने से दावा पेश है। वाद उस समय पैदा हुआ कि सेटलमेन्ट वालो ने गलत तरीके से प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी, जिसकी अभी हल्का पटवारी से नकल लेने से जानकारी में आया तथा तत्पश्चात पंच पंचायती कर वादग्रस्त आराजी हम वादीगण के नाम पुनः दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण उक्त बात से इन्कार हो गये तथा दिनांक 25.05.2022 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया, धमकियां, दी कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली कर दो भूमि हमारे नाम दर्ज है, अन्यथा आपको कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर देगें, जिससे यह वाद बमुकाम सिहानिया, पाबूदानपुरा पैदा हुआ। सहरद ग्राम सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टैयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टैयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टैयर व ग्राम पाबूदानपूरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टैयर भूमि में वादीगण दादा/पड़दादा स्व. अलफ के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में हम वादीगण का मालिकाना हक हकूक होने से व मौके पर कब्जे काश्त होने से वादग्रस्त आराजी के 3/4 हिस्से के खातेदारी घोषणा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति[illegible]ो जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण को [illegible] के अनेक अवसर देने बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया, अतः उनका जवाब बन्द किया गया तथा प्रतिवादीगण को जिरह के अनेक अवसर देने के बावजूद भी जिरह नहीं की। अतः जिरह का अवसर बंद किया गया तथा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

... साक्ष्य पेश करने के अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं किए, अतः ...ण के साक्ष्य बंद किए गए। प्रतिवादीगण को जवाब व प्रतिवादी साक्ष्य और जिरह के अनेक ...र देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के वकील ने कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वादी वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में अबुबकर पुत्र नूरा जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का शपथ–पत्र PW-2 में सलीम पुत्र बचाया जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा का शपथ–पत्र PW-3 वरियाम पुत्र दरिया जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा का शपथ पत्र PW-4 मजिद पुत्र आगु जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा का शपथ पत्र, PW-5 सैफल खान पुत्र मखन खान जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में जमाबन्दी ग्राम सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टैयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टेयर प्रदर्श 01 व 02(खसरा नक्शा व जमाबंदी), ग्राम पाबूदानपूरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टेयर प्रदर्श–03 खतौनी बंदोबस्त सवत् 2073–76 तथा प्रदर्श 04 खसरा नक्शा व जमाबंदी की प्रमाणित छायाप्रतियां वादीगण द्वारा न्यायालय में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं ने बहस की। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, वादीगण का वाद संख्या 52/2022 उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः <u>खेत मौजा सिंहानिया के खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0.2913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टैयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टैयर व ग्राम पाबूदानपूरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13.0390 हैक्टैयर भूमि में वादीगण [illegible] दादा स्व. अलफ के प्रथम श्रेणी के</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(14)

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

वादग्रस्त आराजी में वादीगण का मालिकाना हक हकूक व मौके पर कब्जा काश्त होने से आराजी के 3/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

(5)

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अदालत **सहायक कलक्टर सेडवा** **मुकाम** **सेडवा**

इजलास ***श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.***

वादी– 1. फेजू पुत्र बचाया, (फौत) के कायम मुकाम
1/1. बचाया पुत्र फजू 1/2. सरूपा पत्नी फेंजू
2. अली मोहम्मद पुत्र बचाया 3. सलीम पुत्र बचाया 4. उम्मेदअली पुत्र नूरा
5. अबुबकर पुत्र नूरा 6. दादला पुत्र नूरा 7. सचल पत्नी नूरा 8. वरीयाम पुत्र दरीयाखां
9. चनेसर पुत्र दरीयाखां 10. धोदल पुत्र दरीयाखां 11. मारियत पत्नी दरीयाखां जाति मुसलमान, निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. नवाब पुत्र निभरा (फौत) के कायम मुकाम
1/1. हमीद पुत्र नवाब 1/2. मीरखान पुत्र नवाब 1/3. मलीर पुत्र नवाब
1/4. फरीद पुत्र नवाब 1/5. अभन पुत्र नवाब 1/6. निमरा पुत्र नवाब
1/7. जीवण पुत्र नवाब 1/8. कुड़ा पुत्र नवाब 1/9. करीमा पत्नी नवाब
2. भाईखान पुत्र निभरा 3. माणक पुत्र निभरा 4. ओढाणी पत्नी अलफ 5. मांजी पुत्र अलफ
6. रजाक पुत्र अलफ 7. अनवर पुत्र आदम 8. अब्दलकलाम पुत्र वारस 9.अमीर पुत्र जानी
10. अरबी पुत्र अमीन 11. अलाना पुत्र लतीफ (फौत) के कायम मुकाम 11/1. शरीफ पुत्र अलाना 11/2. करीम पुत्र अलाना 12. हासयत पत्नी फेजू 13. इसाक पुत्र शेरखां फौत के कायम मुकाम 13/1 मनीया पुत्र इसाक 14. कारू पुत्र शेरखां 15. गुल पुत्र पोड़ा 16. छूटा पुत्र मीठू 17. जमरदीन पुत्र पोडा फौत के कायम 17/1. मगन पुत्र जमरदीन 17/2. इशाक पुत्र जमरदीन 17/3. हकीमा पत्नी जमरदीन 18. जमाल पुत्र एलियास 19. नसीर पुत्र सदीक फौत के कायम मुकाम 19/1. मीर पुत्र नसीर 19/2. जीमल पुत्र नसीर 19/3. रसीद पुत्र नसीर 19/4. शरमी पत्नी नसीर 20. पुनु पुत्र आदम 21. फजल पुत्र पोडा (फौत) के कायम मुकाम 21/1. एहसान पुत्र फजल 21/2. पोडा पुत्र फजल 22. बचु पुत्र जानी 23. बची पत्नी जानी 24. बरकतअली पुत्र अमीन 25. भानी पत्नी अमीन 26. मुकीम पुत्र आगू 27. मजीद पुत्र आगू 28. मनई पुत्र वारस 29. मेहराण पुत्र आगू 30. मीयल पुत्र आगू 31. लुकमान पुत्र आदम 32. लतीफ पुत्र शेरखां
33. लियाकत पुत्र अमीन 34. सतार पुत्र मीठू 35. सफी पुत्र दोषु 36. साजन पुत्र जानी 37. साभर पुत्र पोडा 38. साले पुत्र आदम 39. सालखां पुत्र अमीन 40. सोरढ पत्नी वारस
41. हाजी पुत्र दोषू जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा
42. व्यवस्थापक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा
43. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

वाद बाबत धारा 88, 188 RT Act

मुकदमा नं. 52/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] **श्री दोष मोहम्मद वादी** अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता **श्री मुकीम खान समेजा व प्रतिवादी संख्या 07, 10, 18, 20, 24, 25, 31, 33, 38, 39 के अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण** मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(16)

राजस्व वाद संख्या 52/2022

उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया

वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र ...ल सेड़वा में खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0. ... हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 ...क्टेयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टैयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टेयर व ग्राम पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13. 0390 हैक्टेयर भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा सहखातेदार के साथ हिस्सा घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 18/06/2025 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

(17)

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अदालत **सहायक कलक्टर सेडवा** मुकाम **सेडवा**

इजलास ***श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.***

वादी– 1. फेजू पुत्र बचाया, (फौत) के कायम मुकाम
1/1. बचाया पुत्र फजू 1/2. सरूपा पत्नी फेंजू
2. अली मोहम्मद पुत्र बचाया 3. सलीम पुत्र बचाया 4. उम्मेदअली पुत्र नूरा
5. अबुबकर पुत्र नूरा 6. दादला पुत्र नूरा 7. सचल पत्नी नूरा 8. वरीयाम पुत्र दरीयाखां
9. चनेसर पुत्र दरीयाखां 10. धोदल पुत्र दरीयाखां 11. मारियत पत्नी दरीयाखां जाति मुसलमान, निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. नवाब पुत्र निभरा (फौत) के कायम मुकाम
1/1. हमीद पुत्र नवाब 1/2. मीरखान पुत्र नवाब 1/3. मलीर पुत्र नवाब
1/4. फरीद पुत्र नवाब 1/5. अभन पुत्र नवाब 1/6. निमरा पुत्र नवाब
1/7. जीवण पुत्र नवाब 1/8. कुड़ा पुत्र नवाब 1/9. करीमा पत्नी नवाब
2. भाईखान पुत्र निभरा 3. माणक पुत्र निभरा 4. ओढाणी पत्नी अलफ 5. मांजी पुत्र अलफ
6. रजाक पुत्र अलफ 7. अनवर पुत्र आदम 8. अब्दलकलाम पुत्र वारस 9.अमीर पुत्र जानी
10. अरबी पुत्र अमीन 11. अलाना पुत्र लतीफ (फौत) के कायम मुकाम 11/1. शरीफ पुत्र अलाना 11/2. करीम पुत्र अलाना 12. हासयत पत्नी फेजू 13. इसाक पुत्र शेरखां फौत के कायम मुकाम 13/1 मनीया पुत्र इसाक 14. कारू पुत्र शेरखां 15. गुल पुत्र पोड़ा 16. छूटा पुत्र मीठू 17. जमरदीन पुत्र पोडा फौत के कायम 17/1. मगन पुत्र जमरदीन 17/2. इशाक पुत्र जमरदीन 17/3. हकीमा पत्नी जमरदीन 18. जमाल पुत्र एलियास 19. नसीर पुत्र सदीक फौत के कायम मुकाम 19/1. मीर पुत्र नसीर 19/2. जीमल पुत्र नसीर 19/3. रसीद पुत्र नसीर 19/4. शरमी पत्नी नसीर 20. पुनु पुत्र आदम 21. फजल पुत्र पोडा (फौत) के कायम मुकाम 21/1. एहसान पुत्र फजल 21/2. पोडा पुत्र फजल 22. बचु पुत्र जानी 23. बची पत्नी जानी 24. बरकतअली पुत्र अमीन 25. भानी पत्नी अमीन 26. मुकीम पुत्र आगू 27. मजीद पुत्र आगू 28. मनई पुत्र वारस 29. मेहराण पुत्र आगू 30. मीयल पुत्र आगू 31. लुकमान पुत्र आदम 32. लतीफ पुत्र शेरखां
33. लियाकत पुत्र अमीन 34. सतार पुत्र मीठू 35. सफी पुत्र दोषु 36. साजन पुत्र जानी 37. साभर पुत्र पोडा 38. साले पुत्र आदम 39. सालखां पुत्र अमीन 40. सोरढ पत्नी वारस
41. हाजी पुत्र दोषू जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा
42. व्यवस्थापक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा
43. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

वाद बाबत धारा 88, 188 RT Act

मुकदमा नं. 52/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फर्द रूबरू न्यायालय [illegible] **श्री दोष मोहम्मद वादी** अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता **श्री मुकीम खान समेजा व प्रतिवादी संख्या 07, 10, 18, 20, 24, 25, 31, 33, 38, 39 के अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण** मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 52/2022
उनवान फेजू पुत्र बचाया के कायम मुकाम बचाया
वगैरा बनाम नवाब पुत्र निभरा के कायम मुकाम हमीद वगैरा

व डिक्री दी जाती है **कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र सेड़वा में खसरा संख्या 524/234 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/521 रकबा 0. हैक्टेयर, खसरा संख्या 954/521 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 956/608 रकबा 0.5342 टयर, खसरा संख्या 957/608 रकबा 2.4523 हैक्टैयर, खसरा संख्या 959/231 रकबा 0.8660 हैक्टेयर कुल रकबा 4.7347 हैक्टेयर व ग्राम पाबुदानपुरा पटवार क्षेत्र गंगासरा के खसरा संख्या 343/170 रकबा 13. 0390 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के दादा/पड़दादा स्व. अलफ के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, वादग्रस्त आराजी में वादीगण का मालिकाना हक हकूक व मौके पर कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी में स्व. अलफ के हिस्से में से वादीगण का 3/4 हिस्सा सहखातेदार के साथ घोषित किया जाता है।**

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 21/07/2025 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested